<u>न्यायालय— शरद जोशी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अंजड जिला</u> <u>बडवानी म.प्र.</u>

आप0प्र0क0— 137/2018 आर.सी.टी. कं. 132/18 संस्थापन दिनांक—02.05.2018

मध्यप्रदेश आबकारी वृत्त अंजड(थाना ठीकरी क्षेत्र), जिला बड़वानी म0प्र0अभियोगी

विरुद्ध

जगदीश पिता देवीसिंह उम्र 48 साल, निवासी दवाना थाना ठीकरी जिला बडवानी म0प्र0

.....अभियुक्त

//निर्णय// (आज दिनांक 02.05.2018 को घोषित)

- 01— अभियुक्त **जगदीश** के विरूद्ध 34 (1) आबकारी अधिनियम के अंतर्गत दिनांक 15.01.2018 को समय 01:00 बजे, स्थान— दवाना पर अभियुक्त के आधिपत्य में वैध अनुज्ञप्ति के बिना एक प्लास्टिक की केन में 07 लीटर हाथ भट्टी मदिरा रखने का आरोप है।
- 02— प्रकरण में उल्लेखनीय तथ्य है कि, अभियुक्त के द्वारा स्वेच्छा पूर्वक अपराध स्वीकार किया गया है।
- 03— अभियोजन कथन संक्षेप में इस प्रकार है कि, दिनांक 15.01.2018 को सूचना के आधार पर समय अभाव के कारण बगैर तलाशी वारंट प्राप्त किये, आरोपी की जामा तलाशी रिहासयी मकान की विधिवत तलाशी गवाहों के समक्ष लेने पर देशी मदिरा प्लेन 07 लीटर हाथ भट्टी मदिरा जांच उपरांत जप्त की। बगैर पास या परमीट के निर्धारित आधिपत्य सीमा से अधिक मात्रा का धारण म.प्र. आबकारी एक्ट 1915 की धारा 16(4) सी का उल्लंघन कर धारा 34 (1) (क) के तहत दंडनीय अपराध

\sim		
नि	ਹਰਹ	

आरोपी के विरूद्ध आबकारी विभाग अंजड के द्वारा अप0 क0 944/18 पर प्रथम सूचना पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण विवेचना में लिया गया तथा विवेचना उपरांत आरोपी जगदीश पिता देवीसिंह के विरूद्ध अभियोग पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04— प्रकरण में आरोपी जगदीश पिता देवीसिंह ने अपराध स्वीकार किया। आरोपी को दंड का परिणाम से अवगत कराया गया और उसे समझाया गया कि वह संस्वीकृती करने के लिये आबद्ध नहीं है। किन्तु आरोपी के द्वारा अपराध समझने के उपरांत प्रश्नगत दिनांक को अपने आधिपत्य में बिना अनुज्ञप्ति के एक प्लास्टिक की केन में 07 लीटर हाथ भट्टी मदिरा रखना स्वीकार किया है। अतः स्वेच्छापूर्ण की गई संस्वीकृती के आधार पर अभियुक्त को धारा 34 (1) (क) आबकारी अधिनियम के आरोप में दोषसिद्ध किया जाता है।

05— अभियुक्त को धारा 34 (1) (क) आबकारी अधिनियम के आरोप में न्यायालय उठने की सजा एवं 1000/— रू के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड की राशि अदा नहीं किये जाने पर 07 दिवस का सश्रम कारावास भुगताया जावे।

06— प्रकरण में जप्त शुद्धा देशी मदिरा मूल्यहीन होने से नष्ट की जावे।
निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित मेरे निर्देशन व बोलने पर
व दिनांकित कर घोषित किया गया टंकित किया गया।

सही / –

(शरद जोशी) न्यायिक मजिस्टेट प्रथम श्रेणी अंजड़ जिला बड़वानी म0प्र0 सही/-

(शरद जोशी) न्यायिक मजिस्टेट प्रथम श्रेणी अंजड जिला बडुवानी म0प्र0